रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29112023-250298
CG-DL-W-29112023-250298

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2023, शनिवार/कार्तिक 21—कार्तिक 27, 1945
No. 44] NEW DELHI, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2023, SATURDAY/KARTIKA 21—KARTIKA 27, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सहायक निदेशक (बेतार) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप कमांडेंट (बेतार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप कमांडेंट (बेतार), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उसका संबंध मोची के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में मोची श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, मोची श्रेणी I (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। संलग्न

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति–**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेषप्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोची श्रेणी-I	02*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/-रुपये)।	लागू नहीं होता।	18(अठारह) से 27(सत्ताईस) वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार की दशा में ऊपरी

					आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक शिक्षण संस्थान या व्यावसायिक संस्थान से ऑर्थोटिक जूते और उपकरणों को बनाने में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; (ii) ऑर्थोटिक जूते और ऑर्थोपेडिक उपकरणों को बनाने के व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव; या	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश शिक्षण आज्ञापक होगा ।

(ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक शिक्षण संस्थान या व्यावसायिक संस्थान से ऑर्थोटिक जूते और उपकरणों को बनाने में एक वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; और (ii) ऑर्थोटिक जूते और ऑर्थोपेडिक उपकरणों को बनाने के व्यवसाय में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) या प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(क) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात मोची श्रेणी II में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (ऑर्थो), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य; 3. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य; 4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यालय के किसी दूसरे से कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।

	पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुकति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (ऑर्थो), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य; 3. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य; 4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यालय के किसी दूसरे से कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/22/2019-कुष्ठ]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th November, 2023

G.S.R. 172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as, they relate to the post of Cobbler, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Cobbler Grade-I in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Cobbler Grade-I (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person .-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Cobbler Grade-I.	02*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level- 2 in the pay matrix. (Rs.19900-63200).	Not applicable.
Age- limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 (eighteen) and 27 (twenty seven) years of age. (The upper age-limit is relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for	(a) 12th class pass from a recognised Board or University; (b) (i) two years' Diploma course of making Orthotic shoes and appliances from a recognised	Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful

determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands , Ladakh and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names.	Central Government or State Industrial Training institutue or Vocational Institute; (ii) one year experience in the trade to make Orthotic shoes and Orthopedic appliances; or (c) (i) one year certificate course of making Orthotic shoes and appliance from a recognised Central Government or State Industrial Training Institute or Vocational Institute; and (ii) two years' experience in the trade to make orthotic shoes and orthopedic appliances. **Note: 1.** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note: 2.** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these		completion of probation as prescribed by the Central Government.

	communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition .**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By deputation (including short-term contract) or promotion failing both by direct recruitment.	(a) Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service in the Cobbler Grade II rendered after appointment thereto on a regular basis in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possesing qualification and	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :- 1.Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director (Ortho), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpat - Member; 4. A Gazetted officer from another Central or State Government office in the area - Member.	Not applicable.

	experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. **Note 4:** Where juniors who have completed their qualifying or	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director (Ortho), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. A Gazetted officer from another Central Government or State Government office in the area - Member.	

	eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A-12018/22/2019-Lep]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 173.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) भर्ती नियम, 1984 को, जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एन सी वी बी डी सी) में कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।